न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्जवल राठौड़ आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या – 101 / 2020 (Bank Case)

GCMS No. 2020/ 00231

युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बाजार न 06, रामगंजमण्डी, कोटा–326519

– प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स राजस्थान स्टोन ट्रैडिंग कम्पनी के जरिये प्रोपराइटर श्री असलम मनसुरी पुत्र श्री अब्दुल रहमान
   पता–80, मारत्री मन्दीर रामगंजमण्डी, जिला–कोटा 326519 (राज.)
2. श्री ललित अग्रवाल, पत्नी श्री श्याम सुदर
   पता– 1ए15 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रामगंजमण्डी, जिला–कोटा 326519

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिकाट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्सगेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 13.01.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बाजार नं. 06, रामगंजमण्डी, कोटा–326519, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है, से अप्रार्थीगण 1 ने दिनांक 07.10.2013 को रूपये 5,00,000/--(अक्षरे रूपये पांच लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 23, खसरा न. 402 गांव–**हनुमतखेडा, रामगंजमण्डी ,जिला– कोटा , राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 987.6 वर्ग फिट है,** जिसका पट्टा नगर पालिका रामगंजमण्डी **जिला कोटा द्वारा कमांक/3047** दिनांक 13.05.2013 से अप्रार्थीगण के नाम जारीशुदा है। **जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में–प्लॉट** नं. 24, **पश्चिम में**– प्लॉट नं. 22, **उत्तर में– रोड, दक्षिण में– अन्य प्लॉट स्थित है** । को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 01.05.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 5,26,261.36/– (अक्षरे रूपये पॉच लाख, छब्बीस हजार, दो सौ इकसठ और छत्तीस पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 03.07.2019 तक शेष देय है एवं इसके पश्चात आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 04.07.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राजस्थान केसरी व बिजनेस स्टेडर्ड में दिनांक 27.09.2019 को प्रकाशन भी कराया गया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 04.07.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राषि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेष फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 04.07.2019 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये। नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राजस्थान केसरी व बिजनेस स्टेंडर्ड मे दिनांक 27.09.2019 को प्रकाशन भी कराया गया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी/ बंधककर्ता **अचल आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 23, खसरा न. 402 गांव– हनुमतखेडा, रामगंजमण्डी ,जिला– कोटा , राजस्थान मे स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 987.6 वर्ग फिट है, जिसका पट्टा नगर पालिका रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा कमांक/3047 दिनांक 13.05.2013 से अप्रार्थीगण के नाम जारीशुदा है। जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में–प्लॉट नं. 24, पश्चिम में– प्लॉट नं. 22, उत्तर में– रोड, दक्षिण में– अन्य प्लॉट स्थित है।** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 13.01.2021 को सुनाया गया ।

(उज्जवल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)